



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67216

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10825 सन् 2026

ऋषभ गौतम @ बादशाह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- प्रदीप कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र एवं कंप्यूटर जनित जमानत आदेश अभिलेख पर लिए जाते हैं।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से इस प्रार्थना सहित दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 24 सन् 2026, बी.एन.एस. की धाराएँ 109(1), 352, 351(2), 61(2), 127(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत, जो पुलिस थाना औरैया, जिला औरैया में पंजीकृत है, में विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है तथा वह 14.1.2026 से कारागार में बंद है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और घायल ने भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी है तथा घायल की चोटें कमर के नीचे पाई गई हैं, जो कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त ध्रुव सक्सेना और रवि गुप्ता@टनटन को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 24.3.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5840 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा एवं दिनांक 20.3.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7665 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसकी व्याख्या आवेदन के जापन में की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. दो सह-अभियुक्त ध्रुव सक्सेना और रवि गुप्ता@टनटन को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और घायल ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी है तथा घायल की चोटें कमर के नीचे पाई गई हैं, जो कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है।

7. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के उपरांत एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक **ऋषभ गौतम @ बादशाह** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा / उन्हें आतंकित नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

अभिषेक